International Research Journal of Commerce and Law
Volume 12 Issue 11, Nov 2024 ISSN: 2349-705X Impact Factor: 8.843
Journal Homepage: http://ijmr.net.in,
Email: irjmss@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal

महिलाओं के कानूनी अधिकार

डॉ. प्रियंका सामंत
सहायक आचार्य
राजकीय विधि महाविद्यालय, अलवर (राज.)

प्राचीन काल में नारी के सम्बन्ध में धारणा थी कि "यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता" अर्थात् जहाँ नारी की पूजा की जाती है, वहाँ देवता निवास करते हैं, लेकिन पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था के कारण धीरे–धीरे नारी की स्थिति बदलती गई। राष्ट्र कवि श्री मैथलीशरण गुप्त ने कहा है कि –

अबल जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी।
आँचल में है दूध और आँखों में पानी।।

वर्तमान समय में नारी कानून की दृष्टि में अबला नहीं सबला है। हमारा संविधान सभी नागरिकों के साथ–साथ महिलाओं को भी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय प्रदान करता है। सरकार ने समय–समय पर महिलाओं से संबंधित अनेक कानून बनाये है, जिससे महिला की स्थिति में सुधार हो सके और उसे विभिन्न प्रकार के शोषण से बचाया जा सके।

स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि स्त्रियों के विकास के बिना विश्व का विकास संभव नहीं है, यह ठीक ऐसे ही है, जैसे एक पंख से उडान भरना।

स्वतंत्र भारत के संविधान में लैंगिक आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न बरतने की बात कही गई है और नारी को उसके विकास के सभी अवसर दिये गये है। महिलाएं घर का काम तो करती ही हैं अक्सर घर के बाहर भी रोजी–रोटी कमाने के लिए काम करती है। सरकार ने समय–समय पर विभिन्न अधिनियमों द्वारा महिलाओं से संबंधित कानून बनाये हैं, और उनमें संशोधन भी किए हैं।

1. **भारतीय संविधान**– अनुच्छेद 14–किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद 15(1)– राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(3)– राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 16(2)– राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के सम्बन्ध में केवल धर्म , मूलवंश, जाति, लिंग, उदभव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। अनुच्छेद 21(क)– राज्य छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा, अवधारित करें, उपबन्ध करेगा। अनुच्छेद 23(1)– मानव दुर्व्याहार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबन्ध का कोई भी उल्लघंन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा। अनुच्छेद 24– चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया

जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 39(क)– पुरूष और स्त्री जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 39(घ)– पुरूषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। अनुच्छेद 39(ड.)– पुरूष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु याशक्ति के अनुकूल न हों। अनुच्छेद 42– राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबन्ध करेगा। अनुच्छेद 51क– भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध है। अनुच्छेद 325– धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना। अनुच्छेद 326– लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे जो कम से कम अठारह वर्ष की आयु का है। अनुच्छेद 32, 132, 133, 134, 136, व 226– के अन्तर्गत मूल अधिकारों व अन्य अधिकारों के उल्लघंन की स्थिति में स्त्रियों या पुरूषों को समान रूप से याचिका उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में दायर करने का अधिकार है।

2. **भारतीय दण्ड संहिता, 1860–** धारा– 52क, 212, 216 जहां किसी व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा "सश्रय" (Harbour) दिया जाता है तो धारा 130, 157 के सिवाय आश्रय अपराध की परिधी में नहीं आयेगा । धारा 82 कोई बात अपराध नहीं है जो सात वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। धारा 97 अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की अथवा अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। धारा–292, 293, 294– अश्लील पुस्तकों का विक्रय अश्लील कार्य और गाने को अपराध बनाया गया है। धारा 304बी– दहेज मृत्यु आजीवन कारावास तक दण्डनीय अपराध है। धारा 312, 313, 314– गर्भपातकारिता कराना अपराध है। धारा 354– स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना कारावास से दण्डनीय अपराध है। धारा 361 में अठारह वर्ष से कम आयु की नारी और धारा 362– में बल प्रयोग द्वारा किसी स्थान से ले जाना अपहरण का अपराध है। धारा 366– विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को अपहरण करना, धारा 366A– अप्राप्तव्य लड़की को संभोग करने के आशय से ले जाना, धारा 366B– विदेश से लड़की का आयात करना, धारा 372, 373– वेश्यावृति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तव्य को बेचना व खरीदना अपराध है। धारा 375, 376, 376A to D – के अन्तर्गत बलात्संग के लिए न्यूनतम दण्ड 7 वर्ष व 10 वर्ष और आजीवन कारावास और जुर्माने से दण्डनीय बनाया है मैथुन भी 5 वर्ष का कारावास एवं दण्डनीय अपराध है और यदि पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की है तो पति भी दो वर्ष तक के कारावास से दण्डित किया जाएगा। संशोधन के बाद में धारा–376 में नई धाराएं धारा 376 AB, 376 DB जोड़ी गई जिसमें फांसी का प्रावधान दिया गया है। धारा 493– में प्रवचना से सहवास दण्डनीय है। धारा 494– वैधविवाह के दौरान पुनः विवाह करना दण्डनीय होगा। धारा 497– जारकर्म में पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दण्डनीय नहीं

होगी धारा 498– विवाहिता स्त्री को फुसलाकर ले जाना या निरूष करना, धारा 498A– स्त्री के साथ क्रूरता करना धारा 509– शब्द, अंग विशेष से स्त्री का अनादर करना ।

3. **दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973**– धारा 47– किसी स्थान की तलाशी के समय ऐसी स्त्री हो जो रूढ़ि के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है तो वहां से हट जाने के लिए पुलिस अधिकारी उचित सुविधा देगा। धारा 51– जब किसी स्त्री की तलाशी करना आवश्यक हो तब ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा की जाएगी । धारा 53(2)–किसी स्त्री की शारीरिक परीक्षा की जानी है तो ऐसी परीक्षा केवल किसी महिला द्वारा जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है या उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी। धारा 125 से 128– में पत्नी, संतान और माता–पिता के भरण –पोषण के प्रावधान है। यह पत्नी, बच्चों के अलावा बूढ़े मां–बाप को भी प्राप्त हो सकता है, जो अपनी संतान (लड़का–लड़की) में से किसी से भी चाहे वह शादी–शुदा हो, प्राप्त कर सकता है। धारा 160– साक्षियों की हाजिरी के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा किसी स्त्री को उसके निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। धारा 164A– बलातसंग की शिकार हुए महिला की शारीरिक परीक्षा के प्रावधान में भी अभी संशोधन किये गये है। धारा 198– विवाह के विरूद्ध अपराधों के लिए अभियोजन हेत विशेष प्रावधान किये हैं। धारा 416– यदि वह स्त्री जिसे मृत्यु दण्डादेश दिया गया हैं एवं गर्भवती पाई जाती है तो उच्च न्यायालय दण्डादेश का निष्पादन मुल्तवी (Postponed) किए जाने के लिए आदेश देगा और यदि ठीक समझे तो दण्डादेश को आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण कर सकेगा। धारा 437– के अन्तर्गत अजमानतीय अपराध की दशा में भी स्त्री जमानत पर छोड़ दिये जाने के विशेष प्रावधान है।
4. **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 धारा 112–** विवाहिता स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है। धारा113 क, किसी विवाहिता स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरक के बारे में उपधारणा, धारा 113ख– दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा, धारा 114क– बलात्संग के लिए कुछ अभियोजनों में सम्मति न होने की अवधारणा। धारा 122– विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचना को प्रकट करने के लिए विवश न किया जाना।
5. **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 धारा 56–** न्यायालय द्वारा धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों को गिरप्तार करने और सिविल कारागार में निरूद्ध करने के लिए आदेश नहीं दिया जा सकता है। धारा 60– के अनुसार भरण–पोषण की डिक्री के निष्पादन में वेतन का दो–तिहाई भाग की कुर्की की जा सकता है। निर्णित ऋणी की पत्नी के पहनने के आवश्यक वस्त्र, भोजन पकाने के बर्तन, चारपाई और बिछौने और ऐसे निजी आभूषण जिन्हें कोई स्त्री धार्मिक प्रथा के अनुसार अपने से अलग नहीं कर सकती है उसकी कुर्की नहीं होगी। आदेश 21 नियम 32, 33– के अनुसार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री की पालना यदि पति द्वारा नहीं की गई है तो उसे सिविल कारागार में निरोध किया जा सकता है परन्तु पत्नी को निरोध नहीं किया जा सकता है।
6. **हिन्दू विवाह अधिनिमय 1955 धारा 1(2)–** विदेश में रहने वाले हिन्दुओं पर भी यह विधि लागू है। धारा 5– में विवाह के लिए शर्ते है। धारा 7– के अनुसार विवाह के लिए अग्नि के समक्ष सप्तपदी पूरा करना आवश्यक है। धारा 9– में दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापन

धारा 10— में न्यायिक पृथक्करण और धारा 11 व 12— में शून्य व शून्यकरणीय विवाह है। धारा 13 (1)— में तलाक के विभिन्न आधार है धारा 13(2)— में केवल पत्नी के लिए तलाक के चार विशेष आधार है। धारा 13बी— पारस्परिक सम्मति द्वारा विवाह—विच्छेद के प्रावधान है। धारा 17— में द्विविवाह के लिए दण्ड है। धारा 22— कार्यवाहियों का बन्द कमरे में होना और उसका मुद्रण या प्रकाशन न किया जाना, धारा 24—वादकालीन भरण—पोषण और कार्यवाहियों के व्यय, धारा 25— में स्थायी निर्वाह— व्यय और भरण—पोषण के प्रावधान है। हिन्दू चाहे वे किसी जाति या सम्प्रदाय के हों, बोद्ध, जैन या सिक्ख। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपना मूल धर्म छोड़कर हिन्दू धर्म अपनाया हो, लेकिन अनुसूचित जनजातियों पर यह कानून लागू नहीं होगा। हिन्दू विवाह के लिये वर कन्या दोनों का हिन्दू होना जरूरी है, वर और कन्या दोनों की पहले शादी नहीं हुई होना चाहिये। इसका अर्थ यह है कि विवाह के समय वर की कोई जीवित पत्नी या वधु का जीवित पति नहीं होना चाहिये। वर की उम्र 21 वर्ष और कन्या की 18 वर्ष होना चाहिए। इससे कम आयु के वर या वधु का विवाह करना कानूनी अपराध है। किन्त, ऐसा विवाह वैध माना जायेगा। पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना कानूनी अपराध है।

कानून कहता है कि पत्नी के जीते जी दूसरी शादी करना कानूनी अपराध है। पहली पत्नी चाहे तो पति के खिलाफ मजिस्ट्रेट के कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकती है, ऐसे पति को सात साल तक की कैद की सजा हो सकती है। ऐसी दूसरी शादी कानून में वैध नहीं मानी जाती। पत्नी की सहमति से की गई दूसरी शादी भी गैर—कानूनी है। दूसरी पत्नी को वास्तव में पत्नी का कोई हक नहीं मिलेगा। उसे न तो खर्चा मांगने का कोई हक होगा, न ही पति की संपत्ति में कोई अधिकार मिलेगा। हां, अगर पहली पत्नी की मौजूदगी दूसरी स्त्री से छिपाई गई हो, तो दूसरी पत्नी पति के खिलाफ धोखे का मुकदमा कर सकती है। वह पति से मुआवजा लेने क लिये भी मुकदमा कर सकती है। ऐसी शादी से पैदा हुए बच्चे को पिता की सम्पति में वह सभी हक मिलेंगे जो कि जायज औलाद को मिलते है।

7. **हिन्दू दत्तक तथा भरण—पोषण अधिनियम, 1956 धारा 8**— हिन्दू नारी की दत्तक लेने की सामर्थ्य धारा 9— दत्तक देने के लिये सक्षम व्यक्ति धारा 10— व्यक्ति जो दत्तक लिये जा सकते है। धारा 11— यदि दत्तक किसी नारी द्वारा लिया जाना हैं और दत्तक लिया जाने वाला व्यक्ति पुरूष है तो दत्तक माता दत्तक लिये जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम इक्कीस वर्ष बड़ी हो। धारा 18— में पत्नी को भरण—पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। धारा 19. 20— में विधवा पुत्रवधू, अपत्यों और वृद्धजनों का भरण—पोषण। धारा 23— में भरण—पोषण की रकम का अवधारण जायज और नाजायज नाबालिग (18 साल से कम उम्र के बच्चों को माता—पिता से खर्चा मिलने का हक है। बूढ़े या शारिरीक रूप से दुर्बल मां—बाप को अपने बच्चों से (बेटे हो बेटिया) खर्चा मिलने का हक है। यह खर्चा लेने का हक सिर्फ ऐसे लोगों हो है, जो अपनी कमाई या सम्पत्ति में से अपना खर्च नहीं चला सकते।
8. **हिन्दू अप्राप्तव्यता और सरंक्षकता अधिनियम, 1956 धारा 6**— किसी लड़के या अविवाहित लड़की की दशा में पिता और उसके पश्चात माता नैसर्गिक संरक्षक होगी परन्तु पांच वर्ष

की आयु तक अभिरक्षा माता के हाथ में होगी । धारा 13– के अनुसार न्यायालय द्वारा अप्राप्तव्य के कल्याण पर सर्वोपरि ध्यान रखा जाएगा। बच्चों की अभिरक्षा कानून के तहत माता–पिता के जीवित न रहने पर या माता–पिता का तलाक हो जाने पर बच्चों का लालन–पालन किसके द्वारा होगा यह तय करने के लिए **"गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट"** के नाम से यह कानून बनाया गया है। बच्चे का हित अगर मां के पास रहने में हो, तो बच्चा मां को दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में बच्चा चाहे पिता के साथ न रहता हो तो भी पिता को उसका खर्चा–पानी देना होगा। न्यायालय नाबालिग बच्चों के शरीर व उसकी संपति की सुरक्षा के सरंक्षक नियुक्त कर सकती है, जो न्यायालय के प्रति जवाबदेह रहता हैं।

9. **हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 धारा 6–** मिताक्षरा विधि द्वारा शासित सयुंक्त हिन्दू परिवार में सहदायिक की पुत्री, पुत्र की तरह उसी रीति में जन्म से उसके अपने अधिकार में सहदायिक होगी ओर सहदायिकी सम्पत्ति में वही अधिकार रखेगी जैसा वह पुत्र होती तो रखती। धारा 14– हिन्दू नारी के कब्जे में की कोई भी सम्पत्ति उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर धारित की जाएगी । धारा 15, 16हिन्दू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम है। हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के अनुसार धारा 24निरसित कर दी गई है जिसके परिणामस्वरूप पुनर्विवाह करने वाली विधवा अपने श्वसुर से विरासत में सम्पत्ति प्राप्त कर सकेगी। अनूसूची के वर्ग 1 में चार नये वारिस जोड़ दिये गये है अतः वर्ग 1 से 16 वारिस है। जिसमें से 11 महिलायें है। हर महिला को अपने लिये, अपने नाम से सम्पत्ति खरीदने और रखने का अधिकार के साथ–साथ सम्पत्ति जो उसे मिली हो, या उसकी कमाई की हो रख सकती है। महिलाओं को अपने माता–पिता या दूसरे रिश्तेदार की सम्पत्ति का हिस्सा भी मिल सकता है, यह उनके निजी कानून पर निर्भर करता है। निजी कानून का मतलब है, वह कानून जो किसी समुदाय पर लागू होता है। जैसे हिन्दू कानून, मुस्लिम कानून, ईसाई कानून तथा पारसी कानून आदि।
10. **मस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 एवं मस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार सरक्षंण) अधिनियम, 1986** के द्वारा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की कुछ सीमा तक रक्षा की गई हैं। एक्ट 1939 की धारा 2– के अनुसार मुस्लिम पत्नी को पति से तलाक लेने का अधिकार है जिसके लिए कुल 09 आधार हैं। मुस्लिम महिला के तलाक के बाद पति की सहमति से ही धारा 125– दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत भरण–पोषण प्राप्त कर सकती है अन्यथा नहीं (धारा– 5) लेकिन मुस्लिम महिला अपने उत्तराधिकारों से भरण–पोषण प्राप्त कर सकती है। यदि नातेदारों के पास भरण–पोषण के लिए साधन नहीं है तो उस क्षेत्र में स्थापित कार्यशील राज्य वक्फ बोर्ड से धारा 4– के तहत भरण–पोषण प्राप्त कर सकती है।
11. **दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961**– विवाह के लिए किसी शर्त के रूप में नगद धन या वस्तु लिए जाने को साधारणतः दहेज कह सकते हैं। दहेज कानून में दहेज लेना व देना, सहायता करना व मांगना कानूनी अपराध है। दहेज लेने या देने के जुर्म में पांच साल तक की कैद व पंद्रह हजार रूपये जुर्माना तथा राशि पंद्रह हजार से ज्यादा होने पर दहेज की रकम के बराबर जुर्माना हो सकता है। लेकिन विवाह के समय स्वेच्छा एवं आर्थिक हैसियत के अनुसार वर या वधु को दी गई भेंट अपराध नहीं है। किन्तु दिये गये उपहारों की एक

International Research Journal of Commerce and Law
Volume 12 Issue 11, Nov 2024 ISSN: 2349-705X Impact Factor: 8.843
Journal Homepage: http://ijmr.net.in,
Email: irjmss@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal

सूची बनानी होगी, जिस पर वर–वधु दोनों के हस्ताक्षर होंगे। दहेज से संबंधित अपराधों की शिकायत पुलिस अधिकारी, दहेज पीड़ित व्यक्ति या उसके माता–पिता, स्वैच्छिक संस्था, अदालत स्वयं कर सकती है? दहेज से संबंधित अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना तहकीकात कर सकती है। लेकिन किसी को गिरफ्तार करने के लिये मजिस्ट्रेट के आदेश जरूरी है। दहेज से संबंधित अपराध अजमानतीय अपराध की श्रेणी में आते हैं।

12. **बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988**– में महिलाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं। यह कि कोई पति अपनी पत्नी के नाम से सम्पति खरीदता है तो वह बेनामी संव्यवहार की श्रेणी में नहीं आयेगी और अविवाहित 15 वर्ष की पुत्री के सम्बन्ध में भी यही प्रावधान है।
13. **प्रसूति सुविधाएं (प्रसूति सुविधा अधिनिमय, 1961)**– किसी गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान कानूनन मिलने वाली सुविधा को प्रसूति प्रसुविधा कहा जाता है। यह गर्भावस्था के दौरान, बच्चा पैदा होने के बाद, मातृत्व की शरूआत के महीनों में दी जाती है। प्रसूति से पहले पूरे वेतन पर 6 हफ्ते की छुट्टी । प्रसूति के बाद पूरे वेतन पर 6 हफ्ते की छुट्टी। किसी स्त्री को प्रसूति के छः हफ्ते पहले काम पर नहीं रखा जा सकता, स्त्री से प्रसूति के छरू हफ्ते बाद तक काम लेना कानूनी अपराध है।
14. The Medical Termination of Pregnancy Act, **1971 (धारा–2,3,4,5)**– एम.टी.पी. एक्ट के अनुसार प्रिग्नेन्सी के समय प्रथम टाईमिस्टर (एक से बारह सप्ताह) की अवधि में एक प्रशिक्षित डॉक्टर, एवं द्वितीय टाईमिस्टर (बारह से बीस सप्ताह) की अवधि में दो प्रशिक्षित डॉक्टर्स का होना आवश्यक है, किसी भी हालात में 20 सप्ताह से उपर का गर्भ समापन नहीं किया जा सकता अन्यथा धारा 5– एम.टी.पी. एक्ट का उल्लघंन माना जायेगा, जिस पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 जब कानून के अनुसार गर्भ समापन तब किया जाये, जब– यदि बच्चे को रखने से मां के जीवन को खतरा है, मां के शारिरीक और मानसिक स्वास्थ्य को खतरा है, गर्भ बलात्कार के कारण ठहरा है, बच्चा गंभीर रूप से विकलांग पैदा हो सकता है, स्त्री–पुरूष द्वारा अपनाया गया परिवार नियोजन का साधन असफल रहा हो, स्त्री की अस्वस्थता या वातावरण को देखते हुए उसके स्वास्थ्य को खतरा हो।
15. **Protection of Women from Domestic Violence Act**, 2005 – घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005– मुख्य प्रावधानों के अनुसार दोषी व्यक्तियों को तत्संबंधित विधि में सजा मिल सके एवं इसके अलावा पीड़ित महिलाओं को चिकित्सीय सुविधा, और बच्चों के बारे में संरक्षण की सहायता मिल सके । अगर हिंसा की घटना हो चुकी है तो उसके लिए आर्थिक मुआवजा देने का भी प्रावधान है। पीड़ित घरेलू महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन तथा अन्य सुख से रहने की इच्छा का हनन होता हो, मारपीट, भावनात्मक प्रताडना. आर्थिक प्रताड़ना और नाजायज शारीरिक सम्बन्ध बनाने की कोशिश, गाली या ताने देना भी परिभाषा में समावेश है। उसके किसी रिश्तेदार को उसके विरूद्ध करना भी उसमें शामिल है। उत्पीड़ित महिला के लिए अधिनियम में कई व्यवस्थाएं अधिकारियों एवं न्यायालयों के माध्यम से दी गई हैं। मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर

International Research Journal of Commerce and Law
Volume 12 Issue 11, Nov 2024 ISSN: 2349-705X Impact Factor: 8.843
Journal Homepage: http://ijmr.net.in,
Email: irjmss@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal

अन्तिरिम निषेधात्मक का भी प्रावधान है। मजिस्ट्रेट के निर्णय के बाद सत्र न्यायाधीश में 30 दिन में अपील होती है। (धारा–2, 3, 5, 6, 12, 16, 17, 20,31) इन प्रावधानों का उचित उपयोग महिलाओं के हाथ में है और इनका अनुचित उपयोग होकर वह निर्दोष व्यक्तियों की उत्पीड़न का जरिया न बन जाये, इसकी भी खबरदारी लेने का उत्तरदायित्व भी महिलाओं पर ही है।

16. **The Inter & State Migrant Workmen (Reglation of Emplyment and Condition of Service) Act**, 1979 (2, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21)– एक राज्य से दूसरे राज्य में काम की तलाश में जाने वाले मजदूरों का शोषण रोकने के लिये यह कानून बनाया गया हैं। इसके अनुसार जो भी ठेकेदार किसी दूसरे प्रदेश से पांच या उससे अधिक मजदूरों को भर्ती करता है, उसके पास उस प्रदेश की सरकार का दिया हुआ लाइसेंस होना चाहिये। ठेकेदार की जिम्मेदारी की वह मजदूर को अपने निवास करने की जगह छोड़ने के लिए भता देना, निवास स्थान से आने–जाने का किराया देना, दुर्घटना या मृत्यु पर संबंधित सरकार को सूचना देना। मजदूरी देना (उस प्रदेश की न्यूनतम मजदूरी), मकान, डॉक्टरी देखभाल, खाने–पीने, आने–जाने का खर्च, बालबाड़ी की सुविधा देना।
17. **The Pre&conception and Pre&natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection)Act,** 1994– गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (धारा 2, 3, 4, 5, 6, 17, 22 से 28)
18. **The Immoral Traffic (Prevention) Act**, 1956– औरतों को बेचान से रोकने का प्रावधान, 1956 (धारा 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 18) रिट याचिका 301/2000 में सर्वोच्च न्यायलय ने उक्त अधिनियम को प्रभाव शाली तरीके से लागू करने के दिशा–निर्देश दिये है।

निष्कर्ष :–

आज के आधुनिक युग में जब महिला उसके पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आर्थिक क्षेत्र में उसे सहयोग प्रदान कर रही है, तो पुरुष को भी उसका सम्मान करना चाहिए और उसको बढ़ावा देना चाहिए।

महिलाओं को भी यह समझना होगा कि सिर्फ कानून बन जाने से ही कुछ नहीं होता है, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा, अगर उसके किसी अधिकार का उल्लघंन होता है तो उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलन्द करना चाहिए जब तक न्याय नहीं मिल जाता। अंत में महात्मा गाँधी के शब्दों में – "स्वतंत्र भारत को ऐसा होना चाहिए कि कोई महिला कश्मीर से कन्याकुमारी तक अकेली घूम ले और उसके साथ कोई अशोभनीय घटना न हो।"